डीजी–परिपत्र संख्या– 39/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अक्टूबर 28,2020

विषयः–सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66ए का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में कम्प्यूटर के बढ़ते प्रयोग से सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम के अभियोगों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ऐसे अभियोगों की तत्परता एवं विधिसम्मत विवेचना किये जाने हेतु इस मुख्यालय से समय–समय पर पार्श्वांकित दिशा–निर्देश अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र संख्याः–22/19 दिनांक 15.06.19
डीजी परिपत्र संख्याः–12/19 दिनांक 28.02.19
डीजी परिपत्र संख्याः–02/19 दिनांक 12.01.19
डीजी परिपत्र संख्या–54/18 दिनांक 04.10.18
डीजी परिपत्र संख्या–22/18 दिनांक 13.05.18
डीजी परिपत्र संख्या–06/17 दिनांक 26.03.17
डीजी परिपत्र संख्या–17/16 दिनांक 16.03.16
डीजी परिपत्र संख्या–01/16 दिनांक 08.01.16
डीजी परिपत्र संख्या–48/15 दिनांक 28.06.15
डीजी परिपत्र संख्या–47/15 दिनांक 24.06.15
डीजी परिपत्र संख्या–75/13 दिनांक 31.12.13
डीजी परिपत्र संख्या–44/13 दिनांक 05.08.13

उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 167/2012 श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 24.03.15 के द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को असंवैधानिक पाते हुए समाप्त कर दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से **परिपत्र संख्या 12/19 दिनांक 28.02.19 एवं परिपत्र संख्या 22/19 दिनांक 15.06.19 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश** अनुपालनार्थ प्रेषित किये गये हैं, परन्तु प्रेषित दिशा–निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है अभी भी पंजीकृत किये जाने वाले अभियोगों में सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66ए का प्रयोग किया जा रहा है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मा0 न्यायालय द्वारा भी कड़ी आपत्ति प्रकट की गयी है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्राविधानों का भलीं–भाति अध्ययन कर लें एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66ए को असंवैधानिक पाते हुए उसे समाप्त कर दिया गया है, का अपने अधीनस्थों को एक गोष्ठी कर अवगत करा दें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाये। इस सम्बन्ध में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

28/10/20

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner